निर्मल चंद्र चतुर्वेदी

निर्मल चंद्र चतुर्वेदी (20 फरवरी 1903 – 17 फरवरी 1975) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मूर्धन्य नागरिकों में से एक थे। 21वीं शताब्दी के 1930 से 1970 के दशक के दौरान् राज्य के उत्थान में उनका योगदान उल्लेखनीय था। उनके पिता, चौबे मुक्ता प्रसाद प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर थे। मां ललिता देवी तथा पिता चौबे मुक्ता प्रसाद के साथ ऐतिहासिक शहर आगरा में 'बाह' तहसील के ग्राम 'कछपुरा' में उन्होंने अपना बचपन बिताया। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पड़ोसी गांव चंदरपुर के एक प्राइमरी स्कूल से आरंभ हुई।

अनुक्रम

1. आरंभिक जीवन
2. स्वतंत्रता संग्राम
3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4. कानूनी व्यवसाय
5. लोक सेवा
    5.1 लखनऊ का विकास
    5.2 सामाजिक कार्यकर्ता
    5.3 सामुदायिक सेवा
6. शिक्षाविद
6.1 लखनऊ विश्वविद्यालय
6.2 वधिर विद्यालय
7. विधायक जीवन
8. लेखक
9. हिन्दी के लिए सेवा

10. व्यक्तित्व

11. निधन

12. संस्थाओं जिसके साथ जुड़े

    12.1 संस्थापक

    12.2 अध्यक्ष

    12.3 अध्यक्ष

    12.4 कोषाध्यक्ष

    12.5 उपाध्यक्ष

13. सन्दर्भ

आरम्भिक जीवन

निर्मल चंद्र चतुर्वेदी सन् 1912 में अपने माता–पिता के साथ लखनऊ में रहने लगे। उनका दाखिला केसरबाग स्थित चर्च मिशन स्कूल में हुआ। पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित 'नेशनल हेराल्ड' नामक दैनिक का प्रकाशन बाद में इस स्कूल के प्रकाशकों द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए निर्मल ने आगरा के प्रसिद्ध आगरा कॉलेज में प्रवेश लिया।

सन् 1928 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। विषय अंग्रेज़ी, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी और संस्कृत थे। सन् 1930 में उन्होंने कैनिंग कॉलेज (जिसने बाद में लखनऊ विश्वविद्यायल का रूप धारण किया) से राजनीतिशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अंत में उसी यूनिवर्सिटी से सन् 1933 में उन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। निर्मल बहुत मेहनती और बुद्धिमान छात्र थे। अपने सरल व्यक्तित्व और कुशाग्र बुद्धि के कारण वे अपने बैच के उदीयमान छात्रों में सर्वोपरि थे। प्रिंसिपल कैमरून, प्रोफेसर सिद्धांत, बद्रीनाथ भट्ट, वी0एस0 राम,

वी0के0एन0मेनन, स्मिथ और आशीर्वादम जैसे प्रख्यात शिक्षाविदों के वे प्रिय छात्र थे। विधि संकाय में पढ़ाई के दौरान् डॉ0 जयकरन नाथ मिश्र, कृपाशंकर हजेला, गुलाम हुसैन, चौधरी हैदर हुसैन, लक्ष्मी शंकर मिश्र जैसे प्रमुख वकील उनके अध्यापक थे।

स्वतंत्रता संग्राम

सन् 1926 में निर्मल चंद्र चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में सक्रिय भाग लेना शुरु किया। राष्ट्रवादियों की रक्षा के लिए गठित समिति को उन्होंने सहयोग नियमित रूप से दिया। काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप पर अदालत के सामने क्रांतिकारियों के बचाव के लिए यह समिति गठित हुई थी। स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन देने के लिए उन्होंने एक व्यापक तथा लोकप्रिय आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम के लिये लड़ाई में पुनः भाग लेने की उनकी अगली प्रमुख पहल 1928 के दौरान् हुई। महात्मा गांधी के खादी आंदोलन के लिए धन जुटाने हेतु वह स्वयंसेवकों में सबसे आगे थे। 23 जनवरी 1925 को सभी दलों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। सत्र के पहले दिन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। यह आंदोलन जल्दी ही अन्य प्रमुख शहरों में फैल गया। 28 अगस्त से 31 अगस्त, सन् 1928 के मध्य लखनऊ में आयोजित दूसरे सब दलीय सम्मेलन में निर्मल ने अग्रणी भूमिका निभाई। यह सम्मेलन लखनऊ में नवाब युग के दौरान् निर्मित भव्य इमारत में केसर बाग बरादरी आयोजित किया गया था। बैठक के लिए गठित इस स्वागत–समिति के वह प्रमुख आयोजक थे।

सभी दलों के सम्मेलन द्वारा पं0 मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसमें सांप्रदायिक संघर्ष के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया। देश के संविधान का प्रारूप भी प्रस्तावित किया गया। उन्हें सहयोग देने के लिए निर्मल ने जागरूक नागरिकों और वकीलों के माध्यम से कांग्रेस कैडर का आह्वान किया।

26 नवंबर, सन् 1928 को आयोजित उस जुलूस में वे प्रमुख कार्यकर्ताओं के मध्य शामिल थे। आन्दोलनकारियों ने साइमन कमीशन पर आरोप लगाए। प्रदर्शनों का आयोजन करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में एक बहिष्कार समिति का गठन किया गया था। निर्मल भी जवाहरलाल नेहरु, गोविंद वल्लभ पंत, मोहनलाल सक्सेना, बाल मुकुंद

बाजपेयी, गोपीनाथ श्रीवास्तव, श्रीमती मित्रा, चौधरी खलीक उज़ जमान, हरकरण नाथ मिश्रा, रहस बिहारी तिवारी, चंद्र भानु गुप्ता, बालक राम वैश्य तथा हरीश चंद्र बाजपेयी जैसे प्रख्यात कांग्रेसियों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में शामिल थे। अधिकारियों ने पुलिस को आंदोलन तोड़ने के लिए आदेश दिया। घुड़सवार सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। निर्मल अपने छोटे कद के कारण वार से बच गए। पंडित नेहरु ने आंदोलन में निर्मल के योगदान की बहुत प्रशंसा की।

'मेरठ संघ' नामक अदालती मामले की पैरवी में कई श्रमिक संघ शामिल थे। मार्च 1929 के दौरान् पूरे भारत में रेल हड़ताल की योजना चर्चा में थी। सब प्रमुख कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। हिरासत में लिए गए आरोपियों की रक्षा के लिए एक समिति गठित की गई। निर्मल ने मेरठ में श्री चंद्र भानु गुप्ता के साथ बचाव पक्ष की वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक विंग में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। अपनी ईमानदार छवि और सरल स्वभाव के कारण सबसे अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण वह सभी पार्टियों के सदस्यों, वरिष्ठ हों या कनिष्ठ, के बीच सम्मानित थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सन् 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र के समय तेरह वर्ष की आयु में निर्मल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खादी को अपनाने में कदम उठाया। तब से सन् 1975 में अपनी मृत्यु तक वे कट्टर कांग्रेसी बने रहे।

5 अप्रैल, सन् 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में राष्ट्रव्यापी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। निर्मल ने पूरे उत्साह के साथ अमीनाबाद, लखनऊ के गूंगे नवाब पार्क में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। 16 अप्रैल तक आंदोलन जारी रहा।

निर्मल ने सार्वजनिक रूप से सफलतापूर्वक जनसाधारण से संपर्क किया तथा संगठन कार्य किया। सन् 1932 में अमीनाबाद में आयोजित राज्य प्रदर्शनी के दौरान् उनका योगदान प्रमुख आयोजनकर्ता के रूप में था। सन् 1933 में पार्टी ने उन्हें हरिजन आंदोलन के लिए धन जुटाने का काम सौंपा।

लखनऊ के निवासियों में वह सम्मानित तथा लोकप्रिय नेता थे। उनके लिए निर्मल के मन में संवेदनशील भाव था। सन् 1934 में एक बार फिर आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में उन्हें पर्याप्त कामयाबी मिली। इस बार यह मदद बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए थी।

राज्य के कांग्रेस नेताओं में, मुख्य रूप से गोविंद बल्लभ पंत, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, रफी अहमद किदवई, आचार्य नरेन्द्र देव और चंद्र भानु गुप्ता ने सामूहिक रूप से निर्मल को अपने मुख्य सहयोगी के रूप में चुना तथा पार्टी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सबसे अधिक अनुकूल करार दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान् गिरफ्तार कर जेल भेजे आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सहारा देने की जिम्मेदारी दी गई। इसके कई कारण थे। वे उन प्रमुख वकीलों में से थे जो अदालत में स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत प्रभावशाली ढंग से बचाव करते थे। अपने प्रगतिशील विचारों और सामाजिक सेवा के लिए वे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों में सम्मानित थे। उन्हें शिक्षाविदों, मीडिया और बौद्धिक वर्ग का भी समर्थन प्राप्त था। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर, शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन और संसाधनों को जुटाने में मददगार थे। अतः सन् 1930 से सन् 1945 के दौरान् उन्हें कारावास से बच कर उपरोक्त कार्य संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया। पार्टी के मुख्य आयोजक और प्रबंधक के रूप में वे सभी संगठनात्मक मामले और संचालन के लिये चुने गये थे। समाज के लिये सकारात्मक भूमिका तथा समर्पित जीवन की मिसाल देकर उन्होंने अपना आत्मविकास किया और उसी तरह से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। कांग्रेस पंथ और विचारधारा के वे वह जीवन पर्यन्त थे।

कानूनी व्यवसाय

कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद निर्मल ने लखनऊ में सन् 1934 में वकालत आरंभ कर दी। वकालत के क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण चौधरी हैदर हुसैन और श्री दया किशन सेठ के चैम्बर से आरंभ किया। कानून में उनकी पैनी नजर थी जो एक अच्छे वकील की पहचान थी। कानून के बुनियादी विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने वकालत को सार्वजनिक सेवा के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। गवाहों से जिरह करने

और अपने पक्ष का बचाव करने में वह माहिर थे। कम समय में ही वकालत के क्षेत्र में वह चोटी पर पहुंच गये। उन्होंने मुख्य रूप से उन मामलों को निपटाने का दायित्व लिया जो अवध के छोटी रियासतों के भूतपूर्व ताल्लुकेदारों की संपदा और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों से संबंधित थे। उनकी प्रेक्टिस विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों में थी हालांकि मुख्य रूप से वह लखनऊ स्थित अवध चीफ कोर्ट में अपीयर होते थे। वह भूमि अधिग्रहण ट्रिब्यूनल के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए। उन्होंने लखनऊ सुधार ट्रस्ट ट्रिब्यूनल 1956–75 के लिए कर निर्धारक के रूप में सेवा कार्य किया। सम्माननीय मजिस्ट्रेटों की चयन समिति के वह सदस्य थे। कई वर्षों तक वे अवध बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य तथा कोषाध्यक्ष रहे। जिला बार ऐसोसिएशन, लखनऊ की कार्यकारी समिति के सदस्य थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम सी देसाई, आई सी एस, ने उनके बारे में लिखा,''मुझे तीस के दशक की याद है जब वह मेरी अदालत में वकालत किया करता था। अपने निर्भीक, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण व्यवहार तथा दृढ़ता से उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। चतुवेर्दी जी एक विराट् व्यक्ति थे जिनसे पता चलता था कि हमारी राष्ट्रीय विरासत में क्या अच्छा है।''

सन् 1960 में 5 से 7 फरवरी के मध्य लखनऊ में अखिल भारतीय अपराध निरोधक सोसाइटी द्वारा ''सुधारात्मक प्रशासन'' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें उन्होंने अपना लेख ''Recidivism and its cure' प्रस्तुत किया जो एक विद्वतापूर्ण शोधप्रबंध था जिसमें उन्होंने अपराधिक व्यवहार की समस्याओं पर प्रकाश डाला और उसके उपचार का सुझाव दिया।

लोक सेवा

निर्मल को लोक सेवा में बचपन से ही शौक था। वह लखनऊ के वालचर, स्काउट और आर्य कुमार सभा के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने लोक जीवन में शिष्टता और शालीनता के लिए एक मानक निर्धारित किया है।

1 जनवरी, सन् 1946 को उन्हें भारत के वायसराय, फील्ड मार्शल वेवल द्वारा राय साहिब की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में प्रकाशित अभिनंदन–ग्रंथ के लिए दिए गए एक संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के जन जीवन के लिए उनकी मूल्यवान सेवाओं तथा मूक और बधिर के लिए किए गए अद्वितीय कार्य को सराहा।

लखनऊ का विकास

लखनऊ को एक संवेदनशील और सजीव नगर के रूप में नागरिक मामलों पर सक्रिय रुख के लिये सराहा जाता है। नागरिक सुधार के लिए निर्मल का योगदान अभूतपूर्व है। लखनऊ के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस योजना को अप्रैल सन् 1968 में उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। निर्मल सदैव नगरपालिका प्रशासन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने शहरीकरण की जटिल समस्याओं का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के विकास को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मास्टर प्लान के डिज़ाइन की संकल्पना की, नए औद्योगिक केंद्रों के निर्माण की वकालत की तथा विकास कार्यों के लिए क्षेत्रानुसार अधिकारियों की स्थापना की। वित्त को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक रणनीति तैयार की। वह कार्यकारी और विधायी शक्तियों के मध्य घनिष्ठ संपर्क रखने के हिमायती थे। उनके विचार में स्थानीय सरकार की विचारात्मक और कार्यकारी शक्तियों के मध्य कारगर पारस्परिक संबंध होने चाहिए। राज्य में नियंत्रण की कमजोर प्रणाली के कारण दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक नयी योजना के प्रारूप के गठन के लिये कार्य सौंपा गया जो सिर्फ पांच वर्षों की अवधि तक ही सीमित न हो। उन्होंने आवर्ती योजनाओं को अंगीकार करने का सुझाव दिया। निर्मल के मत में जाति व्यवस्था अवांछनीय तरीके से समाज को विभाजित करती है। उन्होंने अदूरदर्शी रियासतों को दिए जाने वाले अनुदान का भी विरोध किया और उसके दुष्परिणामों से बचने की चेतावनी दी।

सामाजिक कार्यकर्ता

निर्मल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज कल्याण की भावना को आत्मसात् किया था। वे समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनके अथक प्रयासों से लखनऊ का ने भारत के सामाजिक कल्याण मानचित्र पर विशिष्ट स्थान था। पिछली शती के पचास और साठ के दशक के दौरान् क्षय रोग बीमारी के रूप में एक चुनौती बन गया था जिसने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आक्रांत किए हुए था। निर्मल उत्तर प्रदेश टीबी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। रोग के रोकथाम और उपचार में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। नारी सेवा समिति तथा महिला अकादमी के साथ भी वे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने पुनः विवाह और विधवाओं के पुनर्वास की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान् वे हमेशा समाज कल्याण एजेंसियों के लिए धन के अधिक से अधिक आवंटन के पक्ष में जोर देते थे। भारत की राज्य ईकाई के सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही।

सामुदायिक सेवा

निर्मल को सामुदायिक सेवा की दिशा में अपने शुरुआती दिनों से ही विशेष रुचि थी। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने 'चतुर्वेदी' पत्रिका के लिए लिखना शुरु कर दिया था। उस अवधि में उन्होंने युवा संघ की स्थापना की। कुछ वर्ष बाद 'लखनऊ मंडल' और 'चतुर्वेदी महासभा' के स्थानीय इकायों की स्थापना की। लखनऊ सभा का पहला सत्र 7 सितंबर सन् 1931 को उनकी अध्यक्षता में हुआ। वह माथुर चतुर्वेदी वेनीफिट को आपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से थे। बाद में दिसंबर सन् 1934 में आगरा में आयोजित महासभा अधिवेशन के सचिव पद के लिए उन्हें चुना गया। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष से कम थी। 26–27 दिसंबर सन् 1936 को लखनऊ में आयोजित महासभा अधिवेशन में भी उन्हें सचिव बनाए रखा गया जहां श्री सालिग राम पाठक ने सभापति के रूप में कार्यभार संभाला।

18 अक्तूबर सन् 1950 को फर्रूखाबाद में आयोजित 18वीं महासभा के अपने अध्यक्षीय भाषण में निर्मल ने विशेष रूप से युवाओं का आह्वान किया। उन्होंने नवजवानों को स्वयं के लिए स्पष्ट उद्देश्य और प्राथमिकताएं तय करने की

सलाह दी। उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। हिंदी को अंगीकार करने की वकालत की तथा नियमित पत्राचार के लिए उसका उपयोग करने की सलाह दी। हिंदी संहिता विधेयक के विवादास्पद प्रावधानों पर आम जनता की व्यापक सहमति के लिए उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। पारंपरिक संयुक्त परिवार की अवधारणा में उपयुक्त परिवर्तन करते हुए उसके समर्थन का सुझाव दिया। उन्होंने लघु उद्योगों की स्वीकृति की सख्त जरूरत की ओर ध्यान दिलाया। होलीपुरा के दामोदर मेमोरियल इंटरमीडिएड कॉलेज में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उच्च शिक्षा की शुरुआत में देरी पर उन्होंने चिन्ता जाहिर की। समुदाय के विभिन्न समूहों के बीच उन्होंने एकीकरण की अपील की। अपने स्थायी निवास लखनऊ की जगह उन्होंने अपने पैतृक गांव कछपुरा के विकास के लिए काम किया। उनके सबसे बड़े पुत्र अविनाश चंद्र चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में वरिष्ठ इंजीनियर के पद पर कार्यकृत थे। उसके माध्यम से उन्होंने तहसील 'बाह' के विकास के लिए तथा विशेष रूप से सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का सुझाव दिया। तहसील 'बाह' आधारित भदावर विद्या मंदिर उनके प्रयासों की वजह से एक डिग्री कॉलेज में अपग्रेड किया गया। उन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा कक्षाओं के लिए 'बाह' क्षेत्र के कई छात्रों के प्रवेश को सुरक्षित किया। कछपुरा की धर्मशाला इमारत में उन्होंने औषधालय स्थापित किया।

शिक्षाविद

निर्मल शैक्षिक संस्थाओं की एक बड़ी संख्या के साथ जुड़े थे। प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें गहरी रूचि थी। वह मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट, महिला अकादमी और नारी सेवा समिति के तहत बहुत सी संस्थाओं के प्रबंधन में सक्रिय थे। उन्होंने कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हाईस्कूल और मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड की सेवा की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा विकास के साथ वे जुड़े हुए थे। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ सदस्य थे, जिसे बाद में सन् 1956 से 1975 के मध्य विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जाना गया। शैक्षिक व्यवस्था के मानक को बढ़ाने के लिए तथा अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय

सहयोग प्राप्त करने के लिए वे सदा ही प्रयासरत रहे। टांडा और फैजाबाद में डिग्री कॉलेज में दिए गए अपने दीक्षांत व्याख्यानों में उन्होंने शैक्षिक समस्याओं पर बात करते हुए शिक्षा के विकास पर अनगिनत व्यावहारिक सुझाव दिए। उनका शैक्षिक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था और अंतर्दृष्टि बहुत गहरी। औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना।

लखनऊ विश्वविद्यायल

निर्मल को सन् 1936 में लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के एक सदस्य के रूप में चुना गया। उसके बाद जल्दी ही वह वकालत के अपने व्यवसाय में आ गए। सन् 1936 में उनके प्रोफेसरों वी0एस0 राम, वी0के0एन0 मेनन, चौधरी नेमत उल्लाह, बीरबल साहनी और राम नारायण भट्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी सलाह से निर्मल पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे और सबसे अधिक वोटों से कोर्ट के चुनाव में विजयी हुए। सन् 1942 से मृत्युपर्यंत वे लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् के सदस्य बने रहे। सन् 1961 से 1967 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कोषाध्यक्ष जैसे सम्मानजनक पद के लिए होने वाले चुनाव में वे चार बार खड़े हुए और हर बार उन्होंने उच्चतम वोट हासिल किए। निर्मल के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में नया विभाग शुरु हुआ। इस विभाग को आरंभ करने और तथा पुराने विभाग को विकसित करने में निर्मल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नूरूल–हसन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यापक विस्तार में निर्मल के प्रयास और उनके योगदान को सराहा। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती के लिए धन की व्यवस्था करने में उनकी भूमिका सर्वोपरि थी।

उन्होंने विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के द्वारा उपकुलपति के नामांकन के लिये सर महाराज सिंह, राजा विश्वेश्वर वयाल सेठ और आचार्य नरेन्द्र देव (दो बार), आचार्य जुगल किशोर, डॉ0 राधा कमाल मुखर्जी, एम0बी0 लाल तथा डॉ0 गोपाल त्रिपाठी को पूरा सहयोग दिया तथा विजयी भी करवाया।

वधिर विद्यायल

निर्मल मानते थे कि बच्चों की जरूरतों की विशेष रूप से देखभाल होनी चाहिए। इसलिए उनके लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हेतु वे विशेष रूप से उत्सुक थे। सन् 1934 में वे लखनऊ के वधिर विद्यालय के संस्थापक बने। इस विद्यालय में नेत्रहीनों के लिए एक अलग खंड था। बाद में सरकार ने उसे एक अलग संस्थान के रूप में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। इस वधिर विद्यालय में अट्ठारह से अधिक देशों के विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई है। सन् 1948 में इस संस्थान में एक ट्रेनिंग कॉलेज की भी शुरुआत की गई जहां वधिर के शिक्षकों की ट्रेनिंग और विकसित होने के लिए समुचित व्यवस्था है। 17 फरवरी, सन् 1975 में निर्मल के निधन से पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉ0 एम0 चेन्ना रेड्डी इस वधिर स्कूल में आने वाले अंतिम आगंतुक थे। इस विद्यालय की प्रगति पर राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,'मैं आज ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा करके बहुत खुश हूं। लखनऊ के वधिर विद्यायल और उनके शिक्षकों को उचित दिशा में शिक्षित होने का अवसर मिलता है। सम्माननीय सचिव श्री निर्मल चंद्र चतुर्वेदी ने मुझे विद्यालय परिसर तथा सभी कक्षाओं का दौरा कराया। यहां पर शिक्षण को सिर्फ ट्रेनिंग से ही सिखाया जाता देखा वरन् इसके लिए गहरे परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता भी महसूस की। मैं यहां अध्यापकों से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। वे पूरे मन तथा लगन से यहां काम कर रहे हैं। मैं दूसरे राज्यों से आने वाले उन अध्यापकों से भी मिला जो इस विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए थे। मैंने सिलाई तथा मुद्रण अनुभाग में काम करने वाले विधार्थियों से मिलने में भी बहुत दिलचस्पी ली। वे यहां केवल काम ही नहीं सीख रहे बल्कि इस माध्यम से संस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह एक मानवीय कार्य है जिसके परिणाम काफी संतोषजनक हैं। मैंने देखा कि यहां से उत्तीर्ण कुछ छात्र अपनी शिक्षा का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। हलांकि यह सब मद्देनजर है लेकिन मुझे उनकी आर्थिक कठिनाई, अल्प वेतन और शिक्षकों की सीमित संख्या को देखकर खेद हुआ। इस संस्था में वित्तीय ही नहीं, अन्य सभी प्रकार की सहायता की जरूरत है। राज्य सरकार तथा अन्य धमार्थ और मानवीय संस्थानों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

निर्मल ने इतने समर्पित भाव से इस संस्थान की प्रगति पर ध्यान दिया और अभिभावक की तरह निरंतर इसे आगे बढ़ाया है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया और स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ हमेशा एक जुट हैं। मैं चतुर्वेदी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।''

विधायक जीवन

सन् 1944 में लखनऊ निगम तथा सन् 1952 में विधान परिषद् के लिए जब वे निर्वाचित किए गए, तब उनकी विधायकीय और प्रशासकीय क्षमताएं उजागर हुईं। निर्मल को सन् 1952, 1954 और 1960 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विधान परिषद् चुनाव के लिए निर्वाचित किया गया। वह पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हर बार चुने गए थे। परिषद् की कार्यवाही में वे बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते थे। परिषद् की अनेक समितियों के लिए उन्हें मनोनीत किया गया तथा उन्होंने बहुत परिश्रम से उनमें कार्य किया। उत्तर प्रदेश विधान मंडल की बिक्री कर, आर्थिक और विद्युत समिति के लिए उन्हें नामित किया गया। कई वर्षों तक वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के अध्यक्षीय पैनल में रहे। वे उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक की चयन समितियों, किराया नियंत्रण विभाग, सरकार श्रम कल्याण समिति और उनकी गतिविधियों के विकास तथा आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के संशोधन विधेयक अधिनियमों आदि कार्यों में भी अग्रसर रहे। उनके अनुभव, प्रशासनीय क्षमताओं और तीव्र बुद्धि के कारण उन्हें विशेष रूप से सभी समितियों के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता था। राज्य विधायिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नियम निर्धारित करने का कार्य उन्हें सौंपा गया। साहस के साथ वे राजनीतिक विरोधियों का सामना करते थे। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक था। वे शैक्षिक जगत में होने वाली राजनीति से दूर रहते थे। वे एक प्रभावशाली वक्ता थे। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। भारतीय संस्कृति में उनकी आस्था बहुत गहरी थी। उनके विकट विरोधी भी उन पर कभी यह आरोप नहीं लगा सके कि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के विचार से प्रेरित होकर कोई काम किया।

लेखक

हिन्दी, उर्दू, अंग्रेज़ी पत्रिकाओं तथा समाचार–पत्रों में उनके 100 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। अनेकों बार रेडियों वार्ता के माध्यम से उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। सन् 1939 में निर्मल और श्री कलिका प्रसाद चतुर्वेदी ने समुदाय की मासिक पत्रिका 'चतुर्वेदी' के ऐसोसिएट एडीटर के रूप में पदभार संभाला। एक लेखक के रूप में उनकी कानूनी विषय पर पहली पुस्तक 'जमींदारी उन्मूलन और ऋण राहत अधिनियम' पर लिखी गई थी। उन्होंने श्री पुष्कर नाथ भट्ट के साथ सह–लेखक के रूप में काम किया। उनकी अगली पुस्तक का विषय 'मूक वधिर की शिक्षा' थी। सन् 1965 में सोवियत संघ (अब रूस) की अपनी यात्रा पर लिखी गई उनकी पुस्तक 'लेनिन के देश में' को उत्तर प्रदेश सरकार ने 'राज्य पुरस्कार' से पुरस्कृत किया। उनके कृतिव को हिन्दी साहित्य के दिग्गज विद्वानों विशेषकर श्री नारायण चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, अमृत लाल नागर, बनारसी दास चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी आदि ने खूब सराहा। वह प्रमुख पत्रकारों डॉ0 एस0एन0 घोष, अशोक जी, यशपाल, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 'मलयपुरी', शिव सिंह सरोज आदि के घनिष्ठ मित्र थे।

हिन्दी के लिए सेवा

अपने विद्यार्थी जीवन में निर्मल ने 'चतुर्वेदी निजी पुस्तकालय' की स्थापना की। श्री दुलारे लाल भार्गव द्वारा स्थापित गंगा ग्रंथ माला के प्रथम स्थायी सदस्य के रूप में उन्हें नामांकित किया गया। निर्मल की रचनात्मक प्रतिभा को देखकर लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री आर0एन0 भाल ने उन्हें विश्वविद्यालय पत्रिका के संपादक के रूप में नामित किया। समय के साथ लखनऊ में हिंदी की समृद्धि के साथ निर्मल की लेखनी में भी विकास हुआ। उस समय श्री रूप नारायण पांडे नवल किशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित माधुरी का संपादन कर रहे थे। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास को संकलित कर रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से 'विद्यार्थी' पत्रिका निकाली। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' रचनात्मकता के शिखर पर थे तथा कविताएं और लघु कथाएं लिख रहे थे। उस अवधि में निर्मल के लेख, सम्पादकीय पत्र तथा अन्य रचनाएं पाठकों द्वारा प्रसंशित हुईं। 10–13

जनवरी, सन् 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने संदेश दिया कि भाषा को सार्वभौमिक रूप से सम्मानित किए जाने से पहले उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है।

व्यक्तित्व

निर्मल के मित्रों और सहयोगियों के अनुसार, निर्मल जन्म से ही सज्जन, शिक्षित, सुसंस्कृत, उदार, धर्माथ और दयालु व्यक्ति थे। जिस किसी को सहयोग की आवश्यकता होती थी, वे हर समय उसके लिए तैयार खड़े दिखाई देते थे। वह ईमानदार और मेहनती थे।

निधन

17 फरवरी, सन् 1975 को 72 वर्ष की आयु में एक अल्प कालीन बीमारी के बाद श्री निर्मल चंद्र चतुर्वेदी का निधन हो गया।